कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः 240 / FP/UK/ROAD/10731/2015. देहरादून दिनॉक 4/8/ ~~जुलाई~~, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद बागेश्वर में काण्डा–सानीउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपसतल बैण्ड से भदौरा–बाजीरोड मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.84 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:– भारत सरकार ,के पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/213/2015/ एफ0सी0 / 1058 दिनांक 22.09.2017।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वार विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी। सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है।

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 500 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 500 वृक्षों के वृक्षारोपण की धनराशि UTR No-SBINR 520051196375 Dtd 20.02.2020 द्वारा रू0 05,51,880.00 जमा की चुकी है (चालान की प्रति संलग्न–01)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार ,के पत्रांक 5--3 / 2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत गये गये आदेशानुसर शु शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0 की निर्धारत राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No- SBINR 520051196375 Dtd 20.02.2020 द्वारा रू0 06,05,000.00 जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–01के अनुसार)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है उक्त प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की बढ़ोतरी धनराशि भी जमा करवायी गयी है। (चालान की प्रति संलग्न–2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार ,के पत्रांक संख्या 5--3 / 2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दये गये गये आदेशानुसर शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा तथा एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी

	प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिनकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	के माध्यम से धनराशि UTRNo-SBINR520051196375 Dtd 20.02.2020 द्वारा रू0 11,56,880.00 जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न –01 के अनुसार)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ संभव हो सड़क के दोनो किनारे तथा पर योक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–03)

अतः प्रश्नगत प्रकरण में उप वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

1.कैम्पा कोष में जमा धनराशि की सूचना।

2.एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

3.काटे जाने वाले वृक्षों के 10 गुना वृक्षों के रोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण।

भवदीय,

27/07

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून

संख्या : 240 / FP/UK/ ROAD /10731/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को।

2.प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर,।

3.अधिशासी अभियन्ता, प्रातीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर, बागेश्वर।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।

Ok

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 72 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 12/07/2023.

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखंड
देहरादून 266
पंजी0 सं0........
पत्रावली..........
दिनांक 20/7/23

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– बागेश्वर में काण्डा–सानीउडियार– रावतसेरा मोटरमार्ग के कोटपाल बैण्ड से भदौरा–बाजीरोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/10731/2015)

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 213 / 2015 / एफ0सी0 / 1058 दिनांक 22.09.2017।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ने सूचित किया है। इन्हें तीन प्रतियों में स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न–प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सं॰ अ॰ / प्रभारी बागेश्वर
आ. का. करें।

उ॰ प्र॰ व॰ सं॰ / नो॰
18-7-23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 5129 / 121-2 बागेश्वर दिनांक : 23/06 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में काण्डा–सानीउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैण्ड से भदौरा–बाजीरोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10731/2015**

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/213/2015/ एफ0सी0/1058 दिनांक 22.09.2017।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में **जनपद बागेश्वर में काण्डा–सानीउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैण्ड से भदौरा–बाजीरोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 500 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा 500 वृक्षों के वृक्षारोपण की धनराशि UTR No SBINR520051196375 dtd 20.02.2020 द्वारा रू0 05,51,880.00जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)। **(संलग्न–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No SBINR520051196375 dtd 20.02.2020 द्वारा रू0 06,05,000.00जमा की जा चुकी है **(संलग्न–01 के अनुसार)।**
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में एन0पी0वी व बढ़ोत्तरी धनराशि भी जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न) **(संलग्न–3)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No SBINR520051196375 dtd 20.02.2020 द्वारा रू0 11,56,880.00जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।

	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।

<u>संलग्न–चार प्रतियों में</u>

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 10 / 2 ई.व.प्र दिनांक 3 / 01 / 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में काण्डा–सानीउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैण्ड से भदौरा–बाजीरोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/10731/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 283 / 2015 / एफ0सी0 / 2229 दिनांक 19.02.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के अनुपालन आख्या

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 500 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	500 वृक्षों के वृक्षारोपण की धनराशि UTR No-SBINR520051196375 dtd 24.01.2020 द्वारा रू0 11,56,880.00जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No-SBINR520051196375 dtd 24.01.2020 द्वारा रू0 11,56,880.00जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।

Received
डिस्पैच
Neetu 3/1/23
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No- SBINR520051196375 dtd 24.01.2020 द्वारा रू0 11,56,880.00जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति ज़ारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

भवदीय,

18.12.2022

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/213/2015/एफ0सी0/1058

दिनांक: 22/09/2017

सेवा में,

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद– बागेश्वर में काण्डा–सानीउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैण्ड से भदौरा–बाजीरोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या –801/X-4-15/1(447)/2015 दिनांक 07.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10731/2015 एवम् अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार जनपद– बागेश्वर में काण्डा–सानीउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैण्ड से भदौरा–बाजीरोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 500 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते मे **Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है**, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्यं होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षैत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 50 से अधिक न हो।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुनति लेना राज्य सरकार/प्रयांक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का सतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

/

(एम.एस.नेगी)
वन सरंक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम.एस.नेगी)
वन सरंक्षक

VoC No 93 Dt 24/1/2020

Bill Type : Normal

Print Date - 24-1-2020

Transaction ID - VP8900422701202007

E-Sign

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D.
Bageshwar

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वितीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१

(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1 - जनपद का नाम : बागेश्वर

2- कोषागार का नाम : बागेश्वर

3- देयक की अवधि कब से .... कब तक

4- रिकार्ड कोड: 1 0 3

5- कोषागार/उपको गार का कोड: 8 9 0 0

6- देयक पंजी की क्रम संख्या: 4 5 9

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)District and other Roads
लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है): 0 — वाउचर दिनांक: –

8- मतदेय/भारित : मतदेय

9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक): 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 2 4

P.C. Attested

10-आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड: 4 2 2 7

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

12- अधिष्ठान का नाम : अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर

13- अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या

14- सोर्स कोड :1

15- सेक्टर कोड :2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
24-वृहत् निर्माण कार्य	12476099	1682433	10793666

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
24-वृहत् निर्माण कार्य	11,56,880
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	**11,56,880**

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D.
Bageshwar

राज्य योजना के अन्तर्गत कपकोट - सालेउड्यार - रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटमातल बैण्ड से धारी - बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण

of Account

Form No.28- HAND RECEIPT

Passed for Rs 1156880.00

(See Chap.XIV,Para 440,446 and 460)

Date 24/1/2020 20 AE

Cash- Book Vouchre No. 93

Paid by Cheque/Cash/Rupees(1156880.00) to Sri. UTTRANCHAL CAMPA

Paid by me*..in charge of P.D. P.W.D. Bageshwar

RECEIVED for the ....E.E....................Division the sum of Rs.

Sub- Divison.................................A.E..........................) Name ofwork * or purpose of which

...1156880.00...... 2019-20 दि- 17/12/2019

payment is made. 117/22.......

Verified vide M.B. No. 603 Page No. 13

(Amount in Vernaculer)

CS Funds 1156880=00

PAID VIDE CHEQUE
VP 20,07
Dated 21-1-2020

Signature of Payees

Date.........20

Withses

U.T.R. No - 520051196375

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-01-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110731070
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/213/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	1156880/-

Amount in Words :Eleven Lakh Fifty-Six Thousand Eight Hundred and Eighty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110731070 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-01-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110731070
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/213/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	1156880/-

Amount in Words :Eleven Lakh Fifty-Six Thousand Eight Hundred and Eighty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110731070 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र– 43

2-38

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

P.C. Attested

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

2.11

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

काटे जाने वाले वृक्षों के 10 गु ना वृक्षों के रोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रभावित होने वाले 64 वृक्षों के बदले 10 गुना अर्थात् 640 वृक्षों के रोपण हेतु देय धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 2507 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 12/1/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में काण्डा–सानीउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैण्ड से भदौरा– बाजीरोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 हे0 वन्भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिसमें सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.09.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	0.84 है0	5	0.2	1005210.00	8,44,376.00	5,51,880.00	2,92,496.00
	कुल योग					8,44,376.00	5,51,880.00	2,92,496.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110731731
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/213/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	292496/-

Amount in Words :Two Lakh Ninety-Two Thousand Four Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110731731 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110731731
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/213/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	292496/-

Amount in Words :Two Lakh Ninety-Two Thousand Four Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110731731 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

42J0825081/c

~~42308420 4554~~

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA 01693 बागेश्वर Bageshwar

23/03/23

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

काण्डा - सानिउडियार मार्ग के कोटपातल बैंड से भद्रोड़ा - बाजीखेत मोटर मार्ग

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD107312015731